तानाशाही को खुली चुनौती

२३ मई १९७६

चौधरी चरण सिंह

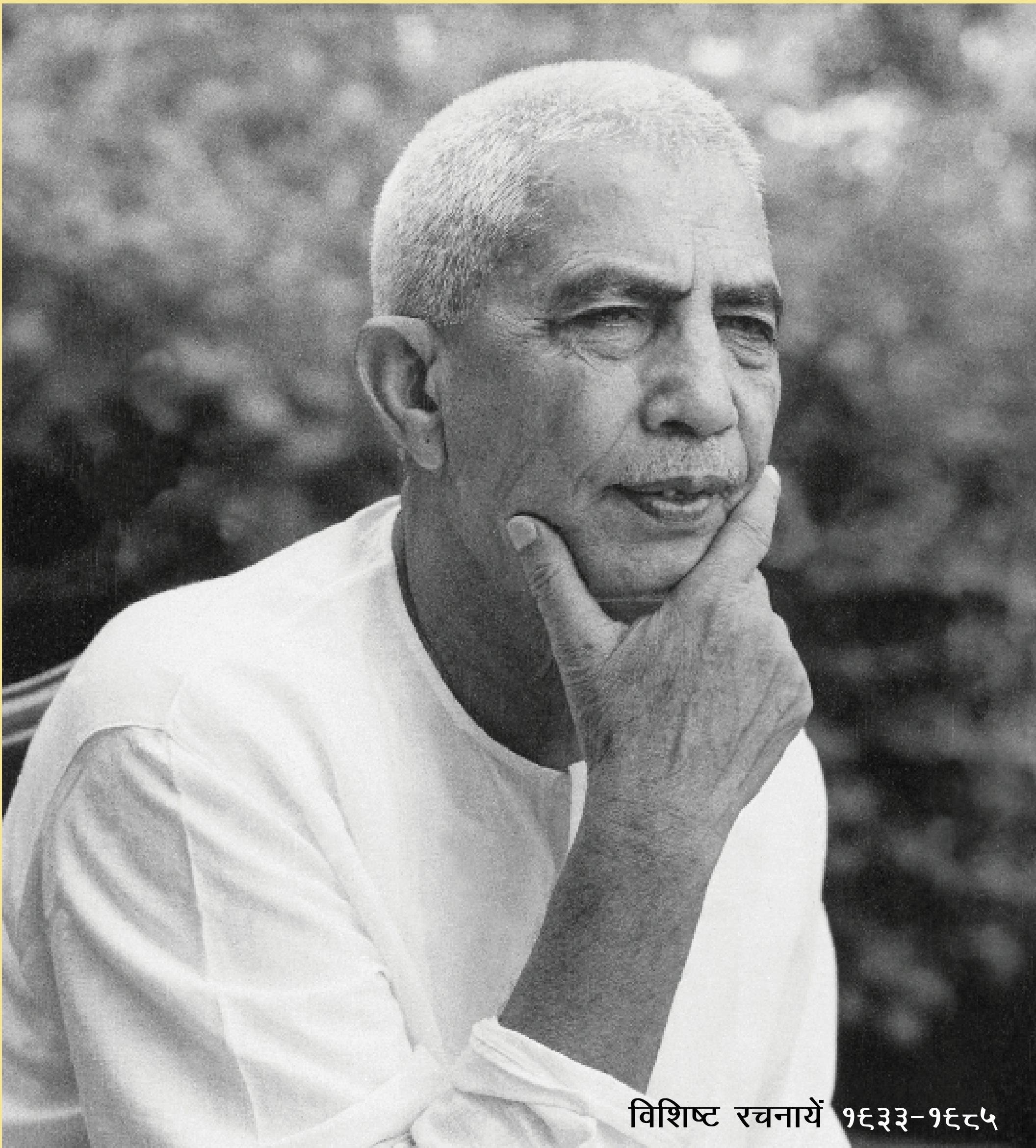

विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५

२६ जनवरी २०२२
चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १६५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १६०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

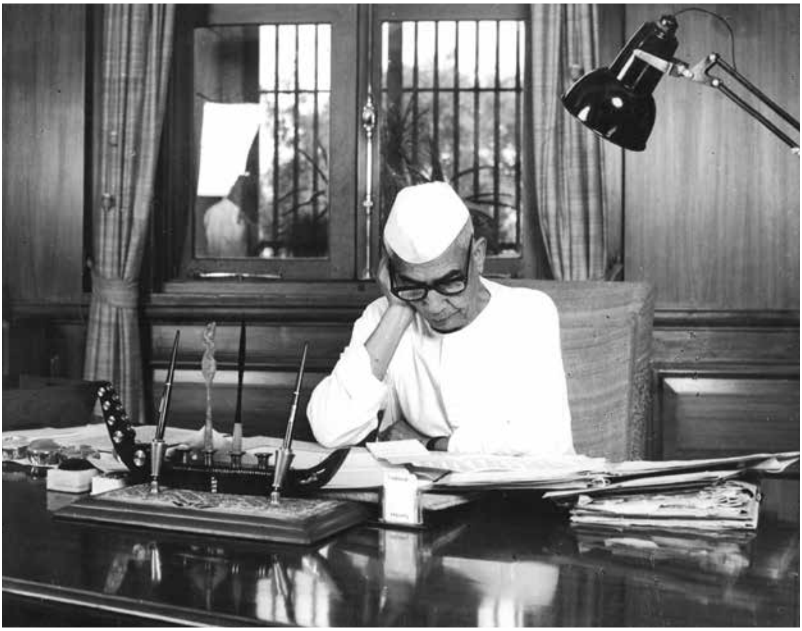

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
तानाशाही को खुली चुनौती

जिस समय देश आपातकाल के अंधेरे में घुट रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरह अंकुश था, तानाशाही के ऐसे दौर में चौधरी चरणसिंह जब इलाज के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल से पैरोल पर छोड़े गये। चौधरी साहब उस समय उतर प्रदेश में नेता विरोधी दल के पद पर थे। जो घुटन, देश में थी, वही चौधरी साहेब के मन में भी थी, जो देश की आक्रोशपूर्ण अभिवयक्ति के रूप में विधान सभा में फूटी। २३ मई, १९७६ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उन्होंने अभूतपूर्व भाषण दिया, जो इतिहास के पन्नों में सुरक्षित रहेगा। चौधरी साहब का यह भाषण लोकतंत्र के पक्षधर, क्रांतिधर्मा संगठनों ने गुप्त रूप से छपवाकर, चोरी–छिपे, जेलों में बन्द कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया तथा जनता में भी वितरित किया; क्योंकि आपात्काल के चलते समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन असम्भव था।

इस भाषण से जेलों में बन्द कार्यकर्ताओं को भारी नैतिक बल मिला। जेलों में जहां–जहां यह प्रकाशित भाषण पहुंचा, वहां लोकतंत्र के सेनानियों की प्रतिक्रिया थी कि आज इमरजेंसी का असर आधा रह गया है। चौधरी साहब ने कांग्रेसी शासन की तानाशाही के विरोध में जिस जन–विरोध की चेतावनी दी थी, एक वर्ष पूरा होते–होते वह सच साबित हो गयी।

आज देश की स्थिति यह है कि लाखों आदमी जेल के अन्दर हैं। सन् १९४२ का आन्दोलन गांधीजी के जमाने के आन्दोलनों में गालिबन सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महत्त्व का माना जाता है, लेकिन उसमें कुल ६० हजार आदमी जेल गये थे। उस समय के होम मिनिस्टर के वक्तव्य के अनुसार, जो उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में दिया था, केवल इतने आदमी जेलों में बन्द कर दिये गये थे। आज श्री ओम मेहता के अनुसार एक लाख तीस हजार आदमी इस बार गिरफ्तार किये गये हैं। आप उसको एक लाख

बीस हजार मान लीजिए या घटाकर एक लाख ही कर दीजिए, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा (अंग्रेजी काल की गुलामी के जमाने से कहीं ज़्यादा) आदमी इस बार जेलों में गये हैं। आप बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से निकाल लीजिए, तब शायद आपको तसल्ली हो जाए। यह देश की बदकिस्मती है कि ऐसा हिसाब लगाने वाले यहां बैठे हुए हैं और लाखों आदमी या एक लाख आदमी आजाद देश में जेलों में पड़े हुए हैं।

पहले प्रधानमंत्री जी कम्युनिस्टों की भाषा में जनतंत्र को सोशल डेमोक्रेसी (सामाजिक लोकतंत्र) कहा करती थीं कि संविधान में बड़े भारी संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन अब केवल डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) कह रही हैं और कह रही हैं कि हम डेमोक्रेसी के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और संविधान में ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत नहीं है। किन कारणों से उनके कथनों में तब्दीली आ गई है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें शक नहीं है कि आज डेमोक्रेसी का दम निकला जा रहा है। दूसरी ओर एक लाख से ज़्यादा आदमी जेल में हैं। वे किस तरह जेल में डाले गये हैं, महीनों उनके परिवार को यह नहीं मालूम हो पाया कि वे कहां बन्द किये गये हैं। २६ जून, १९७५ को सवेरे मुझे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के बड़े आदमियों की बात छोड़िये, क्योंकि आज तो शायद प्रधानमंत्री जी बड़ी हैं, चूंकि वह बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन ऐसे आदमी जिन पर देश गर्व कर सकता है, वे गिरफ्तार हुए और उनके घर वालों को यह नहीं बताया गया कि वह कहां कैद किये गये हैं। तीन–चार मर्तबे मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल गया हूं और उस जमाने की सारी बातें मुझे याद हैं। कभी अंग्रेजों के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं कि दो महीनों तक गिरफ्तार शुदा लोगों को, उनके अजीजों, उनके बच्चों, उनके घर वालों से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि यह भी नहीं बतलाया गया कि क्या जुर्म उनसे हुआ है।

माननीय जयप्रकाश नारायण जी का, माननीय मोरारजी देसाई का और लोक सभा की डिबेट में एक बार माननीय राजनारायण जी का भी जिक्र आया कि इन्होंने अमुक पाप किया है। मैं रोज पढ़ता रहा कि मेरे पाप का भी जिक्र शायद इसमें आयेगा। नहीं, कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। दोस्तों ने पढ़ा होगा, मुझे खुशी होगी जानकर। इतना जरूर मेरा पाप था कि इंदिरा जी से हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि हाईकोर्ट से आप हार गयी थीं, इसलिए इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को यह शोभा देता है कि वह इस्तीफा दें। जून माह में दिए हुए मेरे बयान दिल्ली के कुछ अखबारों में प्रकाशित हुए। मैं जानने का बहुत प्रयास करता हूं, तो मैं इन वक्तव्यों को ही अपना जुर्म पाता हूं। खैर, मेरा यह जुर्म हो सकता है

लेकिन सैकड़ों, हजारों ऐसे लोग हैं, जिन बेचारों ने कोई बयान भी नहीं दिया, फिर भी उन्हें जेलों में डाल दिया गया। नजरबन्दी के क्या कारण हैं, गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, यह उनको नहीं बताया गया। हाईकोर्ट में कोई चला जाए और जानने की कोशिश करे कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या अभियोग है, तो हाईकोर्ट से भी नहीं बताया गया। यही नहीं, मेण्टिनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी ऐक्ट में, जिसको 'मीसा' भी कहते हैं, संशोधन कर दिया गया। मुमकिन है संविधान में किया हो, लेकिन मीसा कानून में तो संशोधन जरूर है कि हाईकोर्ट अगर स्वयं चाहे, तब भी उसको यह अख्तियार नहीं कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की वज़ह कारण गवर्नमेंट की नजरों में क्या है, मालूम कर सके। इससे ज़्यादा तानाशाही, स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता इतिहास में कहीं मिलेगी? और फिर मुझको अफसोस होता है कि ऊपर जो दोस्त बैठे हैं, वे लोकतंत्र का दम भरते हैं और आंख मींचकर हाथ उठाते रहते हैं। खैर, इस सिलसिले में और अधिक कहना व्यर्थ है। बात को यहीं छोड़े देता हूं।

दूसरी बात जो हर आदमी को खटकेगी, यह है कि सारे मौलिक अधिकार, जो कि एक नागरिक के होते हैं, सब निलम्बित हैं। मान लो आज मैं पंजाब जाना चाहूं, तो यहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप पंजाब नहीं जायेंगे। अब पंजाब जाने का अधिकार या बंगाल जाने का अधिकार या किसी तरह का व्यापार करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रताएं होती हैं, वह सभी ले ली गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे पंजाब क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? परन्तु कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, पंजाब जाने की बात छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शूट कर दे (गोली मार दे) या बदले की खातिर सब इन्स्पेक्टर शूट कर दे और गोली खाने वाला व्यक्ति बच जाए, तो उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह कचहरी में जाकर मालूम कर सके या कि उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वे जान सकें कि उस पर गोली क्यों चलायी गयी? और मर जाए, तो उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वे जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ? आपके एटॉर्नी जनरल ने हैबियस कार्पियस की बहस के समय सुप्रीम कोर्ट में स्वयं तसलीम किया है। मैं जानता हूं कि इतिहास में ऐसी कोई और मिसाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ! पुलिस को कितने अधिकार हैं—जो चाहें कर दे, ऐसे हक हैं। सारे अधिकार उनको दे दिए गये हैं। यदि आपको नागरिकता के सारे अधिकार लेने ही थे और व्यक्तिगत आजादी को जब्त करना ही था, तो पावर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया

गया। आप बड़े से बड़ा संगीन मामला होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कह लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई (राहत) नहीं है। किसी भी सब इंस्पेक्टर को या पुलिस वाले को सजा नहीं मिलेगी? आपकी गवर्नमेंट उन्हीं के बल पर चल रही है।

जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ जो बर्ताव हुआ है, वह अच्छा नहीं था, बमुकाबिल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के, जैसी इत्तिला मेरे कानों तक तिहाड़ जेल में आती थी। मैं समझता हूं कि वह सब कृपा है बहुगुणा जी की। मुझे माफ करेंगे वह। आज उन्हें हाउस में होना चाहिए था। मैं नहीं कह सकता कि वे इसका प्रतिवाद कर सकेंगे या नहीं। सुना है कि बरेली जिले की जिला परिषद की एक मीटिंग में गये हैं। वहां उन्होंने इन राजनीतिक बन्दियों के बारे में कहा, जो उनके मुखालिफ हैं, कि जेल में जो ऐसे लोग पड़े हैं (कम्बख्त और क्या–क्या कहा), उनसे अगर मेरा बस चलता, तो मैं पत्थर तुड़वाता और गंगा और यमुना की रेत छनवाता। हम उनके या आपके दुश्मन हैं, क्योंकि हम आपसे मतभेद रखते हैं। इसका अन्त कहां जाकर होगा? हमारी क्या नीतियां होंगी, इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई पाप नहीं है। आपके और हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, लेकिन यह क्या कि जो आपसे मतभेद रखते हैं, वह देशभक्त नहीं हो सकते? वे देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। मैं यह कह रहा था कि आपके दृष्टिकोण का असर पुलिस पर और सारे प्रशासन पर पड़ेगा।

रोजाना क्या किस्सा होता था कि जेल से लोग छूटते थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिये जाते थे और दूसरे या तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा पेश हो जाता कि अमुक कोने पर ३० आदमी इकट्ठा थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट निकम्मी है। वह इस तरह फिर गिरफ्तार कर लिये जाते। पुलिस का कहना था कि वे छूटते ही व्याख्यान देते थे। सेशन जज आर्डर करता, तो उनको रिलीज (रिहा) करना पड़ता। फिर बाहर आया, फिर केस बना दिया गया। एक व्यक्ति को पुलिस ने तीन दिन तक हवालात में रखा, चूंकि पुलिस अफसर के यहां शादी थी। फिर वह मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की और सजा का हुक्म सुना दिया। परन्तु मजिस्ट्रेट को कौन कहे? सुप्रीमकोर्ट के जज के साथ क्या बर्ताव नहीं किया गया? वहां जिस तरह के कन्फरमेशन (स्थायीकरण) और प्रोमोशन (पदोन्नति) होते हैं, वह भी मिसाल है।

सन् १९७३ की बात है, एक फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। तीन न्यायाधीश उस फैसले के देने में शामिल थे, उन तीनों को सुपरसीड

कर दिया जाता है। क्या वे नाकाबिल थे, यह नहीं बताया जाता है और एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह सुपरसीड किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को ऊपर रखा गया है, जो हर प्रकार से जूनियर था, उसका असर न पड़े, यह मुश्किल है। पंजाब हाईकोर्ट में भी यही हुआ कि एक सीनियर जज को, जिसकी सारा बार, सारे वकील इज्जत करते हैं, सुपरसीड किया गया और नियुक्ति उस जज की की गई, जिसका फैसला गवर्नमेंट के माफिक हुआ करता था। मैं जजों की शान के खिलाफ नहीं कहूंगा, लेकिन फैसला गवर्नमेंट के माफिक होता था। इसलिए उनका प्रमोशन हुआ।

जो जज सरकार के खिलाफ निर्णय लेता है, उसके खिलाफ जुलूस निकाला जाएगा, नारायणदत्त जी की कोठी के सामने उसका पुतला जलाया जाएगा कि सी० आई० ए० (अमेरिका के खुफिया विभाग) से मिला हुआ है। कितने आदमी हैं, जिनमें विरोध करने की हिम्मत हो। ऐसे–ऐसे आरोपों के बाद वे चुप बैठ जायेंगे। न्यायाधीशों की क्या हिम्मत है कि आपकी निगाह न देखकर आपके खिलाफ फैसला दे सकें। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। बंगाल हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले हुए हैं, उनसे कुछ आशा बंधती है।

रेडियो से सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोपेगेण्डा होता रहता है, वह गवर्नमेंट की वाणी बन गया है। वास्तव में वह केवल गवर्नमेंट की वाणी नहीं बनाया जा सकता, वह केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि वह सारी जनता के लिए है। विपक्ष के सभी नेता लोग कहते–कहते थक गए हैं कि रेडियो का एक निगम बना दिया जाए, लेकिन यह नहीं हो पाया है। यह केवल गवर्नमेंट के मात्र प्रचार का साधन बन गया है। क्या यह उपयुक्त है? लोकतंत्र की यह धारणा नहीं है. हां, अधिनायकवादी लोकतंत्र में यह हो सकता है। जितने आरोप गुजरात सरकार पर लगाए गए हैं, वे सब रेडियो पर आये लेकिन वहीं के मुख्यमंत्री श्री बाबू भाई पटेल का कुछ नहीं आया। हितेन्द्र देसाई ने जो आरोप लगाये, वे सभी आये, क्योंकि वह कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन गवर्नमेंट के प्रतिनिधि की हैसियत से मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, वह नहीं आया।

आचार्य बिनोवा भावे ने कभी कोई बात कही लेकिन जो शब्द रेडियो पर आए, वह उन्होंने नहीं कहे थे, उन्होने इसका खंडन किया। रेडियो ने सरकार के मतलब के शब्दों का खूब प्रोपेगैण्डा किया और कहा कि आचार्य भावे ने कहा है, 'इमरजेंसी अनुशासन पर्व है।' जेल में हमारे एक

साथी ट्रांजिस्टर सुना करते थे। वे बताया करते थे कि एक नौजवान, जिसका नाम संजय गांधी है, उनका प्रोग्राम रेडियो पर आ रहा है। हमारी बहन इन्दिराजी के युवराज सुपुत्र संजय गांधी का रेडियो पर प्रोग्राम आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या औचित्य है? किस नॉर्म, किस उसूल (सिद्धान्त) से ऐसा किया जाता है? क्या कभी उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही कोई जनसेवा का कार्य किया है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन तथ्यों से आपके अंतःकरण को चोट लगती है या नहीं?

अखबारों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सन् १९४२ में ६०—७० हजार आदमी गिरफ्तार हुए और उसका असर आज तक हमारे दिमाग पर है कि कितना बड़ा आन्दोलन था। आज दूने आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन लोगों को लगता है कि कोई आन्दोलन ही नहीं है, क्योंकि कोई अखबार कुछ छाप ही नहीं सकता है, छाप नहीं रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा सेंसर (प्रतिबन्ध) नहीं था, जैसा आज है।

राजनारायण जी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेश था। संजय गांधी जाते हैं, सुप्रीमकोर्ट में मामले को सुनने के लिए। इसलिए पुलिस वकीलों का एक जगह से दूसरी जगह जाना रोक देती है, क्योंकि संजय गांधी आये हुए हैं। उनको खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की मीटिंग होती है, पुलिस की निन्दा की जाती है। जस्टिस महोदय के पास उनका एक डेपुटेशन जाता है कि पुलिस किस तरह वकीलों को रोकती है। इसलिए चीफ जस्टिस प्रधान मंत्री को लिखता है। क्या यह एक ऐसी चीज है, जिसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह खबर अखबार में नहीं छपी, क्योंकि सेंसर था। कौन से नॉर्म्स (पैमाने) हैं? यह आपका लौह—पूजन क्या ज़ाहिर करता है? आपके ऐसे रवैये के सम्बन्ध में कुलदीप नैयर का जजमेंट हुआ। एक—दो पेपर में आखिरी पृष्ठ पर अथवा आखिरी कालम में कुछ छपा, लेकिन आमतौर पर नहीं छापा गया।

इसी तरह से प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता, टूट जाती है। लगभग ६७ नक्सलाइट कैदी दिन के दो बजे जेल तोड़कर आजाद हो जाते हैं। पटना जेल इसी तरह टूट जाती है, लेकिन यह सब अखबारों में नहीं आता। इसी तरह से दिल्ली में तिहाड़ जेल टूट जाती है। राजनीतिक कैदी कोई नहीं निकला गैर राजनीतिक कैदी १०—१२ निकल जाते हैं। एक भी कैदी अगर छूटने की तारीख से पहले जेल से भाग जाता है, तो बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन इतनी जेलें टूटीं, उनकी खबर अखबारों में नहीं आयी। कितनी ही ऐसी चीजें हैं, जो जरूरी नहीं थीं, उनकी बाबत तो बतलाया जाता है लेकिन जो जरूरी थीं, उनकी बाबत नहीं बतलाया गया। विपक्ष

के किन लोगों की साजिश गवर्नमेंट को गिराने की है, जिसके लिए आपने सेंसर लगाया? मौलिक अधिकारों में अखबारों की आजादी का अपना एक अलग महत्त्व है। लोकतंत्र के चार अंग माने जाते हैं—न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस। न्यायपालिका के बारे में मैं बता चका हं। कार्यपालिका के बारे में भी बता चुका है। विधायिका का यह हाल है कि ३३६ एम० पी० लोकसभा में आंख मींचकर हाथ उठाते रहते हैं। चौथा है प्रेस, जिसकी बाबत मैं कह ही चुका हूं।

बात यह है, और बड़े अफसोस की बात है, कि हमारी प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलेंगी—कभी नहीं बोलेंगी। लिख लीजिए, इसका जवाब दे दीजिएगा। जो बयान उन्होंने दिये, उसमें गलत बयानी ही अधिक की गई है। कहती हैं कहां है सेंसर ! नारायणदत्त जी, यहां यू० पी० में सेंसर है या नहीं? हिन्दुस्तान में है या नहीं। गाइड लाइन्स के नाम से आदेश दे दिये गये हैं। इनके खिलाफ अगर प्रेस वाले कुछ करें, तो फौरन कार्यवाही। बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। अखबार छपना बन्द हो जाएगा और कोई अपील नहीं होगी। यह है आपका हाल। सभी को गाइड लाइन्स ऐसी ही हैं और सुना है कि आपको इस बीच कुछ और गाइड लाइन्स जारी हुई हैं, २२ मार्च को। उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं कि कहां से, किसके हुक्म से जारी हुई हैं। अगर कोई प्रेस वाला न माने और यह कहे कि गाइड लाइन्स पर किसी के दस्तखत नहीं थे, तो सम्भव है, इन्फॉरमेशन (सूचना) डिपार्टमेंट, डी० आई० आर० और हाईकोर्ट से तो बच जाएगा, परन्तु आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि उसको रगड़कर सुखा देंगे। आपने प्रेस को क्या बना दिया? आज मैंने सुबह पाइनियर देखा, उसमें कोई न्यूज (खबर) ही नहीं थी। ऐसे ही और पेपर्स (समाचार—पत्र) हैं। ए—टू—जेड (एक से सौ तक) दो ही नाम उसमें हैं, एक हमारी बहनजी हैं और दूसरा हमारा भान्जा है।

अब और एक मजे की बात है। अभी एक फॉरेन न्यूज एजेन्सी (विदेशी समाचार समिति) से इन्टरव्यू हुआ, बहनजी का। उन्होंने कहा कि प्रेस पर सेंसर क्यों लगा रखा है? तो इंदिराजी ने उत्तर दिया कि यहां की गवर्नमेंट के खिलाफ अनर्गल प्रोपेगैण्डा करते थे। वह बड़े—बड़े उद्योगपतियों के अखबार हैं और बड़ी—बड़ी जायदाद वाले हैं, इसलिए वे हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हम गरीबों के हामी हैं। वह प्रेस वाले मालदार आदमी हैं, हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए प्रोपेगैण्डा करते हैं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं नारायणदत्त जी, कि प्रोपेगैण्डा करने का सबको हक होता है, सही हो या गलत, अगर वह करना चाहे। कहीं संविधान में लिखा है कि प्रोपेगैण्डा नहीं होगा? क्योंकि यह प्रोपेगैण्डा

उनके खिलाफ होता है, इसलिए वह कहती हैं कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

नारायणदत्त जी मेरे हमउम्र दोस्त हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि मालदार लोग आपके खिलाफ नहीं हैं और आप भी उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाए. तो उनके लिए आपसे बेहतर कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी। सन १९४७ में बिड़ला जी की सम्पत्ति ३० करोड़ थी और सन् १९५१ में बढ़कर ६५ करोड़ हो गयी और सन् १९६४ में बढ़कर ४०० करोड़ हो गयी। आज बहनजी के शासन के १० वर्षों के बाद वह १० अरब हो गयी है। यही हाल सबका है। इस तरह के ९५ बड़े–बड़े पूंजीपति घराने हैं। जब से आपका राज्य आया, तब से उनकी सम्पत्ति दुगुनी, चौगुनी और दसगुनी तथा बीसगुनी हो गयी। लेकिन आप दुनिया को यह ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं।

इमरजेन्सी लागू करने के बाद फेक आर्गनाइजेशन (फर्जी संगठन) कायम किये अध्यापकों के या और लोगों के और वे दिल्ली डेपुटेशन ले जाते हैं। उसमें बिड़ला जी भी एक डेपुटेशन ले जाते हैं और प्रधान मंत्री से कहते हैं कि जो इमरजेंसी आपने लागू की है, उसका हम समर्थन करते हैं। फिर भी आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं और उनके अखबार आपके खिलाफ खबर छापते थे। जो शिकायत हमको होनी चाहिए कि अखबार वाले हमारी खबरें नहीं छापते हैं, वह आप करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। आपके हाथ में विज्ञापन है, अखबारी कागज का कोटा है, उसे रिलीज करना आपके हाथ में है, बिजली आपके हाथ में है, लायसेंस देना आपके हाथ में है, फैक्ट्री लगाने की इजाजत देना या न देना आपके हाथ में है। फिर क्या ये लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं? इसका मतलब है जान–बूझकर झूठ बोला जाता है। ऐसी नंगी और गलतबयानी करना आपकी ही हिम्मत का काम है और आपकी ही यह हिम्मत है कि इस गलतबयानी को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।

जो मूल्य आप कायम करेंगे, उनका नयी पीढ़ी पर असर होगा। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी के मूल्यों का असर हम पर हुआ, वैसे ही आपके मूल्यों का असर नयी पीढ़ी पर होगा। इसी तरह जो इन्दिरा गांधी कहेंगी, जो उनका तरीका होगा, जो शब्द उनके मुंह में होंगे, जो उनका दृष्टिकोण होगा, जिस चश्मे से वे दुनिया को देखेंगी, जिनको कांग्रेस में रहना है, उनको उसी तरीके से सहना होगा, देखना होगा। विपक्ष के एक सदस्य ने पार्लियामेंट में मन्त्री जी से पूछा कि क्यों आप यू० एन० आई० व पी० टी० आई० आदि, जो पुरानी महत्त्वपूर्ण एजेन्सी हैं और जो

धीरे–धीरे अपना हिन्दी विभाग विकसित कर रही हैं, उनको ठोक–पीटकर एक जगह लाना चाहते हैं, तो उस पर सम्बन्धित मंत्री श्री वी०सी० शुक्ल ने कहा कि उन्हें बिलकुल आजादी है, वे बिलकुल स्वेच्छा से मिल रही हैं। इस पर मुझे हिटलर और स्टालिन की याद आती है, जिसने कहा था कि सब स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं।

आपकी निगाह सोशल डेमोक्रेसी की तरफ है यानी कम्युनिस्ट मॉडल के जनतंत्र की ओर। आप बराबर कहते आये हैं कि चुनाव करायेंगे। हमने आपके नेताओं के बयान पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव समय से होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि निश्चित समय यानी फरवरी सन् १९७६ में क्यों नहीं हुए? चण्डीगढ़ में तय किया गया कि चुनाव नहीं होंगे। बहन राजेन्द्र कुमारी जी, मुझे अफसोस होता है, सिद्धार्थ शंकर राय ने चुनाव की बाबत कहा कि चुनाव बहुत छोटी चीज है, हमें मुल्क को मजबूत करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्क की मजबूती का चुनाव कराने या न कराने से क्या मतलब? चुनाव नहीं करा रहे हैं, इस विषय में उनके शब्द ये हैं–

"होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इज़ माइनर, मोर इम्पॉरटेंट इज दैट वी हैव टू ले फाउण्डेशन फॉर दी कन्ट्रीज प्रोग्रेस।" चुनाव कराना एक छोटी बात है। इससे बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण बात है, देश की प्रगति की नींव स्थापित करना। अगर आपकी यह धारणा है कि मुल्क का हित केवल कांग्रेस से ही हो सकता है और आप चुनाव जीत जायेंगे, तो क्या दिक्कत है चुनाव कराने में?

मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कराइये चुनाव। आप जानते हैं कि आप हार जायेंगे। गुजरात में आप हारे थे, यह सूरत तब थी, जब विरोधी दलों ने केवल एक मोर्चा बनाया था। मोर्चे की जगह एक विकल्प–दल होता, तो और भी अच्छे परिणाम होते, फिर भी आपके केवल ४० प्रतिशत वोट पड़े। गुजरात को आप छोड़िए, यदि आपकी पार्टी को जन–समर्थन प्राप्त है, तो सीधी–सी बात है, चुनाव क्यों मुल्तबी किया? क्योंकि आपकी हार निश्चित थी। यह प्रधान मंत्री की शान के खिलाफ है कि वह गलतबयानी करें, परन्तु इन्दिरा जी बराबर गलतबयानी करती रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय! अब मैं संविधान के बारे में निवेदन करता हूं। जिस प्रकार से वह एमेंड (संशोधित) किया जाता है, वह भी दुनिया में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री अपना पिटीशन हार जाती हैं या उनके खिलाफ जो पिटीशन है, उसमें वे हार जाती हैं। अपील करनी पड़ती है, तो देश के कानून को ही अपने इन्टरेस्ट (हित) में बदलवा लेती हैं और वह भी रिट्रौस्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्व प्रभावी रीति) से। जो हाईकोर्ट के जजमेंट के शब्द हैं, ठीक वे ही शब्द रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट (जन प्रतिनिधित्व

कानून) में रखे जाते हैं। १९ दिसम्बर सन् १९७६ को इन्दिरा जी से अखबार वालों ने पूछा कि संसद के चुनाव में आप कहां से खड़ी होंगी? तो कहा कि राय बरेली से। इसी को होल्डिंग आउट कहते हैं अर्थात् पहले से किसी बात का संकेत करना। उसके बाद ७ जनवरी को एक सरकारी ऑफिसर इंदिराजी के चुनाव क्षेत्र में उनके हक में भाषण देता है, जो कानून के अनुसार भ्रष्टाचार है। लेकिन कानून में संशोधन कर दिया गया कि होल्डिंग आउट नामजदगी की तारीख से माना जायेगा।

इन्दिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने तीन मुद्दों पर अपना निर्णय दिया था और तीनों ही संविधान और कानून में संशोधन करके रद्द कर दिये गए। किसी देश का प्रधानमंत्री अपने हित में हाईकोर्ट से फैसला खिलाफ हो जाने पर लोक सभा में अपने बहुमत के बल पर कानून में संशोधन करा ले और उसके बल पर चुनाव याचिका जीत जाए, तो संसार में इस प्रकार की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चारा नहीं था, अगरचे उसमें भी दो राय हो सकती थीं यानी बहुमत के बल पर किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने हक में कानून बदलवाना कहां तक संविधान की भावना के अनुकूल है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के दिन जैसा भी कानून था, उसको ध्यान में रखते हुए, इन्दिरा जी की अपील को मंजूर कर लिया, जिसका कि हम लोगों और हर न्यायप्रिय आदमी को अत्यन्त मानसिक कष्ट है। आप भले ही बहस में हमसे जीत जाएं लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसी मान्यताएं होती हैं, जो हमेशा कायम रहनी चाहिए, जिनसे मुल्क बनते और बिगड़ते हैं। इन्दिरा जी के जजमेंट के सिलसिले में जो कुछ हुआ, वह देश के लिए शर्म की बात है।

इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए देश की स्थिरता का बहाना लिया गया है। न मालूम देश की स्थिरता को कहां और कैसे खतरा हो गया था? ७ नवम्बर को अपराह्न इंदिरा जी अपील जीत चुकी थीं। उस दिन देहली में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई, जिसके सिलसिले में ८ नवम्बर के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में इस प्रकार खबर छपी—

> "श्रीमती इन्दिरा गांधी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहुंचने के पूर्व ही मीटिंग ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सर्वसम्मत निर्णय के द्वारा जनता की इच्छा को न्यायोचित सिद्ध कर दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी पवित्र—भूमि में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का स्थान सर्वप्रमुख है।"

अब देखिये, आगे चलकर बरुआ साहब क्या फरमाते हैं–

> "प्रस्ताव पेश करते हुए श्री बरुआ ने कहा कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्र को अराजकता तथा अव्यवस्था से बचा लिया। भारतीय लोगों ने यह बतला दिया कि वे कुछ गुण्डों के गुलाम नहीं हैं।"

मेरे तथा जयप्रकाश नारायण जैसे गुण्डे! अगर आप हमको गुण्डे कहें और हम आपको बदमाश कहें तब? और आपने हमको कुछ और कहा और हमने लाठी निकाल ली, तब आप गोली निकाल लेंगे? क्या राजनीतिक विरोधियों को 'हुलिगन' कहा जाता है डेमोक्रेसी में कहीं पर भी? दिन–रात आपके प्रेसीडेंट इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं। अगर हम गुण्डे हों भी, तब भी आप गुण्डे नहीं कहेंगे। ऐसी ही जनतंत्र की रीति होती है। आप कहिये कि हम गलत काम करते हैं। आपने हमको गुण्डा कहा, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आगे और कहते हैं–

"वे जानते थे कि यदि श्रीमती गांधी शीर्षस्थ पद से हटीं, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा। देश का शासन ठगों और पिंडारियों के हाथों में चला जायेगा।"

मीसा बनाया था अपराधियों के लिए, जो वाकई तस्करी करते हों, आश्वासन दिया गया था कि लोक सभा में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मीसा इस्तेमाल नहीं होगा। माननीय देसाई साहब ने जब अनशन किया था, उस समय एक मांग उनकी यह भी थी। उस समय इन्दिरा जी ने उनको लिखा था कि मीसा को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे परन्तु आपने हमको फिर भी मीसा में बन्द कर दिया। क्या आप बतायेंगे क्यों? आप सदन में बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टिर वायदा करती हैं, मोरार जी देसाई को पत्र लिखती हैं। मैं जानना चाहता हूं आपने इन आश्वासनों की अप्रतिष्ठा क्यों की?

चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर दो साल रहे, चाहे दस साल रहे, हमें ऐसी परम्परा नहीं कायम करनी है कि हिन्दुस्तान में आने वाली पीढ़ियां प्राइम मिनिस्टर के वचनों में यकीन न करें। यकीन के ऊपर सारी सोसायटी चलती है। प्राइम मिनिस्टर के वचनों पर मुल्क चलता है, मुल्क उठता है, लड़ाई लड़ता है, संधि करता है, नुकसान उठाता है और लाभ उठाता है।

अध्यक्ष महोदय! फिर न मालूम कितनी बार संशोधन हुए मीसा में, न मालूम कितनी बार अध्यादेश निकले। दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है और बात–बात पर वहां आर्डिनेंस नहीं निकालते। यहां तक कि सन् १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत भी आर्डिनेंस जैसी बात नहीं थी लेकिन आपने 'रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स

एक्ट' में संशोधन कर लिया कि आपके चुनाव के खिलाफ कोई अदालत में नहीं जा सकेगा भविष्य में। मैं जानना चाहता हं, क्यों? यह कौन–सा जनतंत्र है? जनतंत्र के अन्दर तो सब लोग बराबर होते हैं। जनतंत्र का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता।

शासक दल ने चुनाव याचिकाओं के सम्बंध में कानून बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर भी उसमें शामिल हैं। इनके विरुद्ध, चाहे वे लोग चुनाव में कितनी ही बेईमानी क्यों न करें, विरोधी उम्मीदवार अदालत में न जा सकेगा। यह क्या बात हुई? जैसे मुगलों के जमाने के उमराव होते थे, रईस होते थे, कोई तीस हजारी, कोई पचास हजारी होता था, ऐसे ही इदिरा जी ने कहा कि 'ये लोग उमरा हैं। प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर और मैं। इनके विरुद्ध इलेक्शन पिटीशन जो होगा, वह अदालत में नहीं जायेगा।' क्यों नहीं जायेगा अदालत में? एक अलग से आर्गनाइजेशन (संस्था) बनेगा, वगैरह वगैरह, क्यों? आप सब इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? इन पर कोई सिविल केस नहीं चलेगा। कोई क्रिमिनल केस प्राइम मिनिस्टर पर चलेगा नहीं, न आज, न कल। प्राइम मिनिस्टर न रहें, तब भी नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी के साथ ज्यादती करता है, गुस्से में आकर शूट कर देता है। अगर मैं सामने जाऊं, तो मार ही डालेंगी।

ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है? यह देश किसी के बाप–दादों का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं है। हमारा सबका है, ६० करोड़ लोगों का है। यह जो हो रहा है, आप सबको क्यों नहीं अखरता है? इन्डिविजुअल फ्रीडम (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के लिए गांधी जी ने कितना कहा है। लेकिन आप लोग आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। क्या चीज आड़े आ रही है?

इन्दिरा जी से कोई नहीं पूछ सकता है, चाहे वह किसी का कत्ल ही कर दें, चाहे वह अपील में बेईमानी करके जीत जाएं। अब अदालत में पिटीशन लेकर कोई नहीं जायेगा, क्योंकि कामयाब होने का प्रश्न ही नहीं रह गया है। लेकिन मान लो कि अन्तःकरण से पीड़ित अर्थात् अति ईमानदार एक ट्रिब्यूनल बने, वह इस नतीजे पर पहुंचे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और पुलिस ऑफिसरों ने इन्दिरा जी को जिताया है, तो इसका सीधा–सा इलाज है, उन अफसरान से चुनाव से पहले की तारीख डाल कर इस्तीफा ले लें, और मंजूर इलेक्शन के बाद हो। इस प्रकार मान लें, उन्होंने चुनाव में बेईमानी का काम किया, जो कानून आज है,

उसके अनुसार वह काम इल्लीगल (गैरकानूनी) है, परन्तु उस अफसर से कह देंगी कि हम तुमको डायरेक्टर या एम्बेसेडर (राजदूत) फलां देश का बनाकर भेज देंगे। यह डेमोक्रेसी है? आप लोग कभी सोचेंगे कि नहीं? गांव का आदमी तो जानता ही नहीं है। बुद्धिजीवी जानते हैं या अन्य कुछ शहर वाले। वह यह कहती हैं कि शहर वालों की मैं परवाह नहीं करती हूं। मुझे तो गांव वाले और गरीब चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूं। चाहें तो केवल गांव वालों से ही इलेक्शन करवा लें। बड़ी आई हैं वह गरीब और गांव वालों को जानने वाली। जवाहर लाल नेहरू तक तो उनको जानते नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या वह गांव की झोपड़ी में रही हैं? या उनकी कठिनाइयों को क्या वह जानती हैं? गांव वालों का तो केवल प्रोपेगैण्डा है। मैं तो चौलेंज करता हूं, पहले गांव वालों में ही इलेक्शन करवा लें।

चुनाव के सिलसिले में इन्दिरा गांधी जी देश के साथ एक और मजाक कर रही हैं। कहती हैं कि चुनाव अवश्यमेव जीत जायेंगी, परन्तु चुनाव से देश का हित बड़ा है, इसलिए अभी चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक लाल–बुझक्कड़ वाली बात हो गयी। चुनाव से देशहित का क्या टकराव है? चुनाव में जब आप जीत जायेंगी, क्योंकि जीतना तो आपको है ही, तो देश की सेवा और अधिक इतमीनान के साथ कर सकेंगी। फिर चुनाव और देश–हित में क्या जिद है? असल बात यह है कि वह जानती हैं कि बिना भारी बेईमानी किए कांग्रेस आज नहीं जीत सकती। बेईमानी की तरकीब निकालने के लिए इन्दिरा जी ने खुफिया विभाग में कोई सेल अर्थात् विशेषज्ञों की कमेटी बिठा रखी होगी कि बेईमानी करने के ऐसे रास्ते व तरकीबें ढूंढें, जिससे कांग्रेस की भारी जीत हो और विरोधियों को पता भी न लगे, और लगे तो चुनाव के नतीजे निकलने के बाद!

वर्तमान स्थिति का वास्तविक कारण क्या है? मैं उसको भी जानता हूं और वह है जून सन् १९७५ का हाईकोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ हो जाना और कांग्रेस का गुजरात में उस तारीख को हार जाना। बस यही कारण हुआ हमारे जेल जाने का? जिस स्वराज्य को लाने के लिए हमने और हमारे नेताओं ने पुरुषार्थ किया था, उस सब पर पानी फिर गया।

हमको स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि कानून हम कभी तोड़ेंगे। कोई हमको अब बतला भी नहीं सकेगा कि कौन–सा कानून तोड़ा, जिसके कारण हमको जेल में डाल दिया गया। आज तक तो किसी ने बताया नहीं है।

मैं यह कहता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए था और

आगे ऐसा होना चाहिए कि फैसला होते ही इस्तीफा दे दे। इसमें शान भी होती है। कोई मनुष्य तो अनिवार्य नहीं है देश के लिए, लेकिन बहन जी के स्वयं बयान क्या निकले कि हाईकोर्ट का उनके विरुद्ध फैसला किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। क्यों नहीं है व्यक्ति का प्रश्न? डाकू को सजा हो जाए और वह गांव पंचायत से प्रस्ताव पास करा ले कि वह डाकू नहीं है, बल्कि हमारा प्रधान भी है, इसलिए यह सारे गांव का मामला है, सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर ही कानून नहीं मानेगा, तो गांव का सभापति या कोई और क्यों मानेगा? जरा देखिए, मैं कहता हूं कि जरा देखिए हिम्मत। नीयत ही खराब। हंसते हैं आप लोग। कुछ लोग मुस्कुराते हैं। मैं जानना चाहता हूं जब आपके दल का अध्यक्ष कहता है कि "इन्दिरा इज इण्डिया (इन्दिरा ही भारत है), इण्डिया इज इन्दिरा" (भारत ही इन्दिरा है), तो शर्म आनी चाहिए आपको। जो और लोकतान्त्रिक देश हैं, वहां कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन वाह रे आपकी हिम्मत ! यह आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। आपने इसके विरुद्ध आवाज उठायी है? नहीं उठानी चाहिए थी यह आवाज? आज आपको २५ प्रतिशत से ज़्यादा जनता का समर्थन नहीं है। मान लीजिए ३३ सही, ४२ सही, लेकिन १०० फीसदी राय मिल जाए, तो भी इन्दिरा जी को देश की बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। लज्जा नहीं आती यह कहते हुए? वह शख्स (श्री बरुआ) जो दूसरों को ठग कहता है, अपने स्वार्थ के लिए कहता फिरता है "इन्दिरा इज इण्डिया एण्ड इण्डिया इज इन्दिरा," परन्तु पूरी कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है। आप महसूस नहीं करते हैं कि देश के साथ आप कितना बड़ा द्रोह व घात कर रहे हैं। लीजिए, उससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात किसी इण्डियन पैट्रीऑट (देशभक्त) के लिए और नहीं हो सकती। आपकी इस कायरता के कारण ही देश में इमरजेंसी की घोषणा की गयी।

हम पर चार्ज क्या है? इस देश की इंटीग्रिटी को थ्रेटेन कर रहे थे, अर्थात देश की एकता को जोखिम में डाल रहे थे? इमरजेंसी (आपात्कालीन स्थिति) एक मजाक बन गयी है। न किसी को बोलने दिया जाएगा, न चलने दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद ३५२ में इमरजेंसी इस तरह बयान की गयी हैं–

"अगर राष्ट्रपति सन्तुष्ट है कि हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के किसी भाग की एकता जोखिम में है, किसी युद्ध से, आक्रमण से या आन्तरिक शांति भंग से और कहीं पर अव्यवस्था पैदा हो गई है, तब वह इमरजेंसी (आपात–स्थिति) घोषित कर सकता है।"

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि ८–९ महीने हो गये। क्या औचित्य

है आपके पास यह कहने का कि देश की एकता को खतरा है? क्या हम पंजाब को लेकर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम बंगाल को बंगला देश के साथ मिलाना चाहते हैं? यह और क्या है? क्या यू० पी० के हिस्से गोरखपुर या बहराइच को नेपाल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है? राष्ट्रपति कैसे और क्यों सन्तुष्ट हो गये कि देश की एकता को खतरा है। यह चैलेंज नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। बस उन्हीं की संतुष्टि है, यह कहना पर्याप्त है। प्रेसीडेंट तो हमारा (इंदिरा जी का) बनवाया हुआ है। वह कुछ कह नहीं सकता है।

२५ जून १९७५ को यू० पी० निवास के एक कमरे में, जहां मैं ठहरा हुआ था, मेरी कमर में चणका था और सियाटिका नर्व से बायें पैर में तकलीफ होती थी। वहां कुछ दोस्त व बुजुर्ग इकट्ठा हुए और एक रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। मेहरबानी करके बतायें कि इसमें कहां डिस्टरबेंसेज (अशान्ति), इण्टरनल सिक्योरिटी (आन्तरिक सुरक्षा) तथा इन्टीग्रिटी (एकता) के खतरे का सवाल है:

"संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भालोद तथा सोपा की राष्ट्रीय कार्य–समितियां आज प्रातः एक सप्ताह के उस देशव्यापी आंदोलन के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु इकट्ठा हुईं, जिससे जनता का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हो सके कि श्रीमती गांधी ने चुनाव–याचिका में हारने तथा तत्सम्बंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उस निर्णय के बिना शर्त–स्थगन आदेश न मिलने के बावजूद त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया।" उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप हमको इस्तीफा मांगना चाहिए था या नहीं, इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं परन्तु इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमको डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) करने का हक था, इस्तीफा मांगने का हक था, ऐजीटेशन (आन्दोलन) करने का हक था। हां वायलेंस (हिंसा) करने का हक नहीं था। यह हमारा प्रस्ताव था। आगे चलकर उसमें यह भी था कि प्रदेश की राजधानी के अलावा तहसील–स्तर पर भी प्रदर्शन होगा कि इन्दिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए। यही हमारा कसूर है। बतलाइए, इसमें देश की एकता को कहां खतरा है? सच्चाई यह है कि पहले से सारा मामला तैयार था। आज की तैयारी नहीं थी. पहले से थी। एक बार इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाए, तो हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप हो जाएगी। डिक्टेटरशिप नहीं होगी, एक परिवार का शासन स्थापित करने का मौका मिल जाएगा।

अतः २६ तारीख को सवेरे सारे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गयी और उसके लिए आरोप क्या–क्या लगाये गये हैं, जरा उन पर विचार कीजिए।

जयप्रकाश नारायण जी पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने पुलिस व सेना के लोगों से कहा है कि वह सरकार के आदेश पर अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इंकार कर दें। मेरा ख्याल है कि ऐसा कहने का उनको हक हासिल है। जो उन्होंने कहा वह आपको और हमको भी कहने का हक हासिल है। सेना और पुलिस से हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा कोई आर्डर उनको दिया जाए, जो कानून और देश–हित के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, तो वे उस पर अमल करने से इंकार कर सकते हैं। उसे उनको नहीं मानना है। किसी सैनिक या पुलिस मैन की यह दलील नहीं मानी जाएगी कि उसके ऑफिसर ने उसको ऐसा हुक्म दिया था। आर्मी ऐक्ट (सेना कानून) में इस आशय का सेक्शन (धारा) मौजूद है। ताजी घटना आपको याद होगी माई–लाई की? वियतनाम में माई–लाई एक जगह है। अमेरिका के मिलिटरी पर्सोनल (सेना के लोगों) ने कुछ बेगुनाह गांव वालों को गोली का शिकार बना दिया। काफी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या कर दी गयी। इस पर अमेरिका में शोर मचा कि यह तो बुरा हुआ। मुकदमा चला। सैनिकों ने अपनी सफाई में कहा कि इसके लिए उनके अधिकारियों के आदेश थे। वहां कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसा कोई आदेश न्यायोचित नहीं हो सकता। यह सरासर जुर्म है। जो अफसर ऐसा ऑर्डर देता है, वह आपको नहीं मानना चाहिए। अगर आपने माना है, तो सजा भुगतो। मैं जानना चाहता हूं कि कौन बहुत बड़ी बात हो गयी थी, अगर जे० पी० ने यह कह दिया था? हमारे आर्मी ऐक्ट (फौजी कानून) में भी इस तरह का प्रावधान है। अर्थात् कोई अधिकारी कानून के खिलाफ आदेश देता है, तो वे उसके लिए बाध्य नहीं हैं और उस पर अमल करने से इंकार कर सकते हैं।

अब लीजिए मोरारजी देसाई का मामला। आपका कहना है कि वह मिनिस्टर रह चुके हैं और लोक सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। उन्होंने निःसंदेह यह कहा था कि मैं सत्याग्रह करूंगा। किस मौके पर कहा था, किस बात पर कहा था–इस बात पर कहा था कि एल० एन० मिश्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। सारा विरोध पक्ष कह रहा था कि न्यायिक जांच कराओ। आप नहीं माने। इसके पहले और मंत्रियों के विरुद्ध भी सवाल उठे। प्रधानमंत्री ने तब भी नहीं माना। इस पर विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि सदन की ही एक कमेटी बैठ जाए, लेकिन उसे भी नामंजूर कर दिया गया। बहुत मुश्किल से यह तय हुआ कि सी० बी० आई० की इन्क्वायरी (जांच) करा ली जाये और यह भी तय हुआ कि सी० बी० आई० जो रिपोर्ट देगी, वह सदन के पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद सदन स्थगित हो गया। अगली बार जिस दिन

हाउस को बैठना था, ठीक उसी दिन १० बजे कोर्ट में दावा दायर कर दिया गया, उन लाइसेंसदारों के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। जब हाउस बैठा तो अपोजीशन ने कहा कि सुना है सी० बी० आई० की रिपोर्ट आ गयी है, उसे हाउस की मेज पर रखिए। तो उसका जवाब मिलता है कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सवाल उठता है कि आपने उसे विचाराधीन क्यों कर दिया? इससे अधिक बेईमानी की बात क्या हो सकती है? आपने तो वादा किया था। आपको मिनिस्टर होने का मौका मिलेगा, तो क्या ऐसे ही करोगे? अगर ऐसा करोगे तो आपको मुबारक। मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामूली शालीनताओं को, मामूली मान्यताओं को भी आप नहीं देखेंगे, तो कौन देखेगा? इस पर मोरारजी ने कहा कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे और उन्होंने ठीक कहा।

विपक्ष का विश्वास है कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मूल में राजनीतिक लोग हैं। इसलिए उनकी मांग थी कि भ्रष्ट राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करो। प्रशासन अपने आप ठीक हो जाएगा। न्यायाधीशों से जांच कराओ। जवाब मिलता है कि हमने देख लिया है, एल० एन० मिश्र के खिलाफ कुछ नहीं है। बंसीलाल के खिलाफ कुछ नहीं है। मोटी–सी बात है कि अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो जज द्वारा इन्क्वायरी कराने में क्या हानि थी? क्या यह ईमानदारी है?

किसी विशेष संवाददाता ने इन्दिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है? हालत यह है कि किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक, तो मुकाबले में ईमानदार या कम भ्रष्ट के, उसको लिया जाएगा, जो भ्रष्ट है या अधिक भ्रष्ट है। क्योंकि वे जानती हैं वह तीन–पांच नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? फिर आपकी हिम्मत की एक बात कहता हूं। आप एल० एन० मिश्र को शहीद बनाना चाहते हैं, क्यों? इसलिए न कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं।

आपने विरोध–पक्ष पर एक आरोप लगाया है––हिंसा करने का। तो वह कहां है? कहीं पर आज तक ईंटें फेंकी गयी हों, वह बताएं। हिंसा साबित न कर सके, तो आप कहते हैं, हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं कोई अन्य प्रकार का केस हुआ हो, तो उस सिलसिले का केस चलातीं। सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी और हम लोगों को जेल में बन्द कर दिया, बिना किसी प्रकार की तहकीकात किये। आपको प्रेसीडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इन्दिरा

जी को भी दोष नहीं देता। वे ३३६ मेम्बर पालियामेंट में जो आंख बन्द करके हाथ उठाते हैं, उनका दोष इन्दिरा जी से कम नहीं है। दो लाख व्यक्तियों का एक एम० एल० ए० प्रतिनिधित्व करता है और दस लाख का एम० पी० प्रतिनिधित्व करता है। मैं फिर कहता हूं कि वायलेंस करने जा रहे हैं, तो उसका सबूत आज तक क्यों नहीं दिया? हमें दिखा देते यह सबूत अलहदा बुलाकर या कोर्ट में दिखा देते। परन्तु आज तक नहीं दिखाया गया।

मैं लोगों से हिंसा करने के लिए कहूं, यह मुमकिन नहीं है और चाहूं तो कर भी नहीं सकता हूं। लेकिन आप समझते हैं कि स्टीम इकट्ठी होती रहे बायलर में और कहीं कुछ नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, एक विस्फोट होगा, एण्ड दी कंट्री विल बी डूम्ड इन फ्लेम्स (और देश जल जायेगा)। मैं आपके हित में कह रहा हूं, अपने हित में और देश के हित में यह बातें कह रहा हूं। आप किसी को ऐसा मौका न दें। हो सकता है कि कहीं कोई नौजवान या कोई पार्टी ऐसी हो, जो बहुत दिनों तक इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं कर पायेगी कि आप उनकी आजादी सदा के लिए छीन कर रख लें। इमरजेंसी किसी मुल्क में आई है, तो वह एक महीने से ज़्यादा नहीं रही है और अपने यहां १७—१८ महीने तक चलने की उम्मीद है, जैसा कि सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी को जवाब दिया है कि यह नवम्बर—दिसम्बर तक रहने की उम्मीद है। आप एक बार पावर में आ गए, तो आप सदैव देश के मालिक और सर्वेसर्वा नहीं बन गये। आप ही सब कुछ नहीं हैं कि आप सबको मनचाहे ढंग से मिटाकर रख दें। गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया, लेकिन कायरता के कारण नहीं, अगर उनकी बात आती, तो भी हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अहिंसा के असफल हो जाने पर मैं लोगों से कहूंगा कि तलवारें उठाएं स्वराज के लिए। मैं उनकी इस बात को उचित मानता हूं। यदि यह गैरकानूनी है, तो मैं इसको पुनः कहने को तैयार हूं और अपने अपराध के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करूंगा।

मेरी पार्टी के लोग मुझसे नाराज थे तब, जब मैं कहता था कि सत्याग्रह के लिए किसी डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) में स्थान नहीं है। मैं कांग्रेस में था, तब भी मेरा ऐसा ही विचार था कि सत्याग्रह एक विद्रोह है। सत्याग्रह की राय गांधी जी ने इसलिए दी थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। आजकल हर मुल्क की गवर्नमेंट शस्त्रों से सुसज्जित है, इसलिए हिंसा की गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी आई, यह डेमोक्रेसी ठीक तरह से चलती है, तो सत्याग्रह की किसी को ज़रूरत नहीं। यही हमारा चुनाव घोषणा पत्र कहता था, यही उसमें लिखा हुआ है, यही हमने माना है।

हिंसा की बात किस सन्दर्भ में कही है, यह आप सोचें। इलेक्शन में आप ईमानदारी न करें, हिम्मत के साथ बेईमानी करें, उसकी शिकायत की जाए, तो जवाब मिले कि इलेक्शन पिटीशन में जाओ, जहां निर्णय पांच साल में होता है। हिम्मत होती, तो तहकीकात कराते। गांव में घुस नहीं पाते थे और दो सौ पन्द्रह की मिजोरिटी (बहुमत) ले आये कुछ अफसरों की कृपा से, तो दूसरे आदमी क्या करें? यदि आप येन–केन–प्रकारेण सत्ता में रहना ही चाहते हैं, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे करोड़ों रुपये इस्तेमाल करके हो, चाहे गवर्नमेंट के साधनों का इस्तेमाल करके हो या फिर कम्बल और धोती बांटकर हो या फिर कुछ न हो तो इमरजेंसी घोषित करके हो, तो मैं कहता हूं कि विपक्ष को हक हासिल है कि वह येन–केन–प्रकारेण, जिस तरह से हो, आपको सत्ता से निकाल बाहर करे। यह मैं जान–बूझकर कहता हूँ।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहा जाता है कि यह इमरजेंसी से पहले जमाने में बहुत कम हो गया था, अब बढ़ गया है। बहुत खूब, आपकी नाकाबलियत से जो गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी जिम्मेदारी है? आई० एन० टी० यू० सी० शायद श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है। एक दूसरा संगठन है आई० टी० यू ० सी०, जो आपके दोस्त सी० पी० आई० के हाथ में है। अगर हड़ताल हुई होगी, तो आपके दोस्तों ने करायी होगी।

आपके २० प्वाइन्ट्स (सूत्र) हैं, उनमें कहा गया है कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में विपक्ष वाले अनुशासनहीनता फैलाते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग फैलाते हों, लेकिन कांग्रेस वाले भी कम नहीं हैं। हमने सन् १९७० में निश्चय किया था कि कम्पलसरी स्टूडेन्ट्स यूनियन (अनिवार्य छात्र संघ) होना उचित नहीं है। नतीजा यह हुआ कि–हालांकि कांग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने भी लड़कों को भड़काया, लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं पर हिंसा हुई, मुमकिन है दस बीस लड़के गिरफ्तार हुए हों–उस वर्ष सबसे अधिक पढ़ाई हुई। जिस तरह की पढ़ाई हुई और विद्यालयों में शान्ति रही, उसके बारे में मेरे पास अनेक पत्र आये, जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई विगत २० वर्षों में भी नहीं हुई। आपके लीडर त्रिपाठी जी आये, ५ तारीख को पावर (शासन) में और आते ही उन्होंने वह आर्डिनेंस (अध्यादेश) वापस ले लिया और फिर अनिवार्य यूनियंस बनीं, नतीजा क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जली, आज तक कहीं इतना बड़ा काण्ड नहीं हआ लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, (श्री त्रिपाठी) उनकी तरक्की हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहां पर लड़कों के झगड़े हए हैं, तो कौन है इसका जिम्मेदार? जब गवर्नमेंट की तरफ से

कोशिश हुई कि यूनियंस न हों, तो आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों। जब मैं जेल (दिल्ली में) में था, तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी थे (एस० एच० ओ०)। उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी बस जलाने में या यूनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों को गिरफ्तार किया गया, तो हमेशा कांग्रेस के लीडरों की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ, शिकायत दर्ज कर लो और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दो, लेकिन अनुशासनहीनता कराने का दोष दिया जाता है हमको।

एक तर्क हमारे विरुद्ध यह भी दिया गया है कि हम लोग प्रधानमंत्री के पद की बदनामी करते थे। कहा गया है कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम तो चाहते हैं कि उनकी शान बढ़े, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा यह होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती है। क्या हमने विल्सन साहब की शान बढ़ा दी है। उन्होंने अपने आप कहा कि मैं आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) रह चुका हूं, अब और अधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता। लेकिन हमारी बहन जी ने टेलीविजन पर इन्टरव्यू देते हुए कहा कि अभी तो मेरा काम बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम बाकी है। देश है, सरकार है, हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। लिहाजा हमेशा ही देश को इंदिरा चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के कहने से मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे दुष्कर्मों से ही घटेगी। आप मुल्क को किधर ले जा रही हैं? आप चाहते हैं कि देश में एक दलीय शासन हो और सिवाय कांग्रेस के कोई दूसरी पार्टी न रहे?

अभी तमिलनाडु में क्या हुआ? मार्च के महीने में वहां की विधान सभा की अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन आपकी सरकार ने केवल डेढ़ महीने पूर्व वहां की प्रांतीय सरकार और असेम्बली को बर्खास्त करके अपने कब्जे में वहां का शासन ले लिया। मैं जानता हूं कि क्यों ले लिया? वे तो कहते थे कि आप दोनों चुनाव–लोक सभा और विधान सभा के, साथ–साथ कराएं और अगर पार्लियामेंट का नहीं कराते हैं, तो विधान सभा को भी मुल्तवी करा दें। फिर भी एक–दो महीने पूर्व ही बर्खास्त करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप थे, सन् १९७२ से। लेकिन सुनने में आया है कि वहां के गवर्नर ने अपने हर सम्बोधन में उनकी तारीफ की है। उधर कर्नाटक को आप देखें, वहां की कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ।

जो गलती पायी गयी है, अकुशलता पायी गयी है, वह केवल दो सरकारों में पायी गयी है, एक गुजरात और दूसरी तमिलनाडु में। न यू० पी० में, न पंजाब में, न हरियाणा में, न बिहार में। तो इसका मतलब क्या निकला? यह कि आपकी इच्छा है कि देश में एक दलीय शासन

हो। लिहाजा दूसरी पार्टी के लोगों को लालच देकर फुसलाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाए। बराबर प्रोपेगैण्डा किया गया कि गुजरात की सरकार गिरेगी और आखिर में गिरा ही दी। जनवरी में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से दो या तीन दिन पहले सचिवालय के सामने इंदिरा जी ने विपक्ष को ध्वस्त करने, उनको मिटा देने का आह्वान किया। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक लीडर्स (लोकतांत्रिक नेता) यह दृष्टिकोण अपनाते हैं या कहते हैं कि विपक्ष को समाप्त ही कर देना है?

पांच जनवरी के अखबार निकाल लीजिए। हमारे पास इस वक्त नहीं है। मैंने पढ़ा हुआ है एक बार नहीं दो बार कहा, किसी इन्डिपेन्डेंट (निर्दलीय) मेम्बर ने श्रीमती जी से यह पूछ ही लिया कि आप विपक्ष वालों से बात क्यों नहीं करतीं? उन्होंने (इन्दिरा जी ने) कहा कि मैं कभी इनसे बात नहीं करूंगी। यह रवैया है प्राइम मिनिस्टर का। फिर जब अगले रोज लोगों ने कहा कि आपका इस तरह से कहना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि आई एम प्रिपेयर्ड टू होल्ड ए डायलॉग प्रोवाइडेड दि अपोजीशन क्रियेट्स प्रापर ऐटमॉसफियर फॉर ए डायलॉग एण्ड डज नॉट ऑफर एनी ऑब्सट्रक्शन टू गवर्नमेंट्स वर्किंग (मैं बात करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते विपक्ष ऐसी बातचीत के लिए उचित वातावरण तैयार करे और सरकार की कार्य प्रणाली में बाधा न डाले)। उस पर एच० एम० पटेल, जो जनता फ्रंट (मोर्चे) के चेयरमैन हैं और एन० जी० गोरे साहब, उन्होंने फौरन इन्दिरा जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आज आपने यह कहा है कि आप बात करने को तैयार हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम उचित वातावरण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? जहां तक आपने यह कहा कि हम लोग बाधा डालते रहते हैं प्रशासन में, सो उसकी मिसाल हम जानना चाहते हैं। हम केवल विपक्षी दल के कर्तव्यों को पूरा करते हैं। आपकी जिन नीतियों से देश को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी हम आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हिंसा हमने कहां की है, क्या बाधा डाली है? आज तक इस पत्र का जवाब नहीं आया है।

यही नहीं, जयप्रकाश जी ने एक पत्र लिखा। एन० जी० गोरे साहब ने उनसे कहा, तो उन्होंने इतना मुलायम लिख दिया कि बहुत ज़्यादा। अगर मैं होता, तो उनको लिखने न देता। इस पत्र की प्राप्ति की सूचना तक भी नहीं भेजी गयी। यह नक्शा है ! यही नहीं, जिस आचार्य के नाम का फायदा उठा रही थीं कि वह इमरजेंसी को अनुशासन–पर्व कहते हैं। बसों पर, रेलों पर, दुकानों पर यह पोस्टर लगवा दिये पर बाबा तो पोलिटिकल नहीं हैं–संन्यासी हैं। निन्दा होती है अपोजीशन की। जब बाबा यह कहते

हैं कि हमने यह नहीं कहा था, तो जितने पोस्टर लगे हुए थे दिल्ली की बसों पर और दुकानों पर, वह मिटाये गये। इस तरह आपने खूब फायदा उठाया उनके नाम का। लेकिन जब आचार्यों की कान्फ्रेंस करते हैं और वह गैर–राजनीतिक लोग, जिनमें एक्स चीफ जस्टिस हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के भी हैं, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स, जर्नलिस्ट और लिट्रेच्योर, पत्रकार और साहित्यकार हैं और किसी का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, उन सबने जो रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास करके भेजा, आपने पढ़ा होगा, हर मामले या बात में, जो विपक्ष ने कही हैं, उन सब में उन्होंने विपक्ष का समर्थन किया। सर्वसम्मत प्रस्ताव सबके मश्विरे से पारित हो गया। उन्होंने उसमें यह कहा कि आप जल्दी इस मसले को सुधारें, ताकि कोई अप्रिय घटनाएं घटित न हों, जिसका मतलब है, ताकि हिंसा न हो जाए। क्योंकि हर तरीके से किसी कौम को, किसी देश को दबाया जाता है, तो हिंसा होती है। (व्यवधान)। अच्छा महोदय, आचार्य लोगों के यूनेनिमस रिजोल्यूशन (सर्वसम्मत प्रस्ताव) को उनके पास भेजा जाता है और श्रीमन्नारायण जी जाते हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के मेम्बर भी रह चुके हैं और काठमाण्डू में राजदूत रह चुके हैं। दस दिन तक वक्त मांगते हैं। टेलीफोन आप खुद नहीं उठाती हैं, हमेशा आदमी जवाब देता है कि बाद में आपको फोन पर समय दिया जाएगा। दस रोज इन्तजार करके लौट गए।

अब इन्दिरा जी का बीस–सूत्री प्रोग्राम लीजिए। यह कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हर जगह यही पढ़ने को मिलता है कि इन्दिरा जी के प्रोग्राम को पूरा करके उनके हाथ मजबूत करो। अगर आपको उनके हाथ मजबूत करना ही था, तो लिखते कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करो। अगर आप कहीं डेवलपमेंट ब्लॉक (विकास क्षेत्र) में जाइये, जहां कोई छोटी सड़क बनी, या ट्यूबवेल है, तो वहां यही लिखा मिलेगा कि इन्दिरा जी के बीस–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाया गया है।

इन्दिरा जी के बीस–सूत्रीय कार्यक्रम के सिलसिले में तथा उनकी हकूमत के दस साल पूरे होने पर एक उत्सव मनाया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हआ? डिवेलरा सोलह वर्ष तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। ग्लैडस्टन भी दस साल तक लीडर रहे, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ। नौजवान धर्मवीर जी या कौन हैं, वे नाराज न हों, वे इस बात को सोचें। अगर प्राइम मिनिस्टर के अपने निजी तौर से या पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन आपने सार्वजनिक उद्योगों को, गवर्नमेंट को और

प्राइम मिनिस्टर को एक बना दिया, क्यों? आखिर आप किधर जा रहे हैं?

यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है। राजा की बरसी मनायी जाती है, रानियों की बरसी मनायी जाती है कि उन्होंने दस साल तक राज्य किया था। किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो। आपने स्टेट और पार्टी को एक बना दिया इन्दिरा जी के साथ। इसको आप सोचें। जेल में मुझे पढ़ने को मिला–मिल्क प्राइस कट ऑन दि ऑकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी'ज बर्थडे (प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के जन्म दिन के शुभ–अवसर पर दूध के मूल्यों में कमी)। इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा के लड़का पैदा हो गया, तो इसलिए छुट्टी रहेगी।

अब यहां प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) की भी कोई इज्जत आपने नहीं छोड़ी है। प्रेसीडेंट ऐसा बनायेंगे, जो अत्यन्त विवादास्पद आदमी हो। बड़े–बड़े पदों पर ऐसे आदमी होने चाहिए, जो विवाद से ऊपर हों या जिनके विरुद्ध व्यक्तिगत कोई बात न कह सके या कम कह सके। लेकिन नहीं, ऐसे को बनाएंगे जो अपकी मुट्ठी या जेब में हो। चाहे किसी कमीशन की रिपोर्ट ही उसके खिलाफ क्यों न रखी हो और चाहे जैसे कागज पर उससे दस्तखत करा लेंगे। दुनिया में किसी राज्य के अध्यक्ष के जरिये ऐसी इमरजेंसी स्वीकृत नहीं हो सकती थी, जो हमारे यहां हुई। इसके पहले पार्लियामेंट से एक विधेयक नामंजूर हुआ। उसी समय एक अध्यादेश भेज दिया जाता है हवाई जहाज से, प्रेसीडेंट के पास, जो दिल्ली से बाहर थे और तुरन्त उस पर मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की। इस तरह जो प्रतिष्ठा प्रेसीडेंट के पद की है, वह आप स्वयं गिराते हैं।

संविधान सभा में जब संविधान के अनुच्छेद ३५७ पर, जिसमें किसी प्रदेश के शासन को अपने हाथ में लेने और विधान सभा तथा मन्त्रि–परिषद को बर्खास्त करने का प्रावधान है, बहस हो रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था–

> "यदि ये प्राविधान कभी प्रयोग में आते हैं, तो मुझको आशा है कि राष्ट्रपति, जो इन अधिकारों का धारक है, किसी प्रदेश के शासन को निलम्बित करने के पहले पर्याप्त सावधानी बरतेगा।" परन्तु व्यवहार में ऐसी कोई सावधानी बरती नहीं जा रही है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा था कि वह विधान–सभा का चुनाव लोक सभा के साथ कराना चाहते हैं। लोक सभा का चुनाव अगर मुल्तवी होता है, तो विधान सभा का भी होना चाहिए, परन्तु श्रीमती गांधी को यह मंजूर नहीं था और प्रदेश की गवर्नमेंट को आनन–फानन में बर्खास्त कर दिया।

इसी प्रकार इमरजेंसी की बात है। संसार भर में कदाचित इमरजेंसी का प्रावधान केवल ब्रिटेन में है, सो भी किसी युद्ध के दौरान। युद्ध का अन्त हुआ और उसके एक या दो–तीन महीने के अन्दर आपातकालीन स्थिति स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके सम्बन्ध में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था–

"आपात स्थिति का प्रावधान व्यवहार में नहीं के बराबर होगा।"

परन्तु आज अपने देश में इमरजेंसी को लगे हुए नौ महीने हो गये।

इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है। दो–दो साल तक किसी क्षेत्र में इलेक्शन नहीं करवायेगा। जिला बिजनौर में डेढ़ साल से नहीं हुआ लेकिन जहां चाहेंगे, वहां दो महीने में करवा देंगे। सॉलीसिटर एण्ड एटार्नी जनरल भी इसी तरह है, जो चाहें परामर्श ले लें, चाहे चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात हो या और कोई बात हो। वाइस चांसलर से भी यही उम्मीद करते हैं। मुख्यमन्त्री आपके (विधायकों द्वारा) द्वारा बनाये या हटाये नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर बनाये या बिगाड़े जाते हैं दिल्ली में।

हमारे माननीय बहुगुणा जी गये दिल्ली में। एक दिन विधान सभा में मुझसे कह रहे थे कि हमने आपका इन्तजाम कर दिया कि आप वहीं (विरोध में) बैठे रहेंगे। कोई हर्ज नहीं। जो पद्धति है, वैसी है, उसमें अगर हम बैठे रहेंगे, तो कोई हर्ज नहीं। अगले दिन मलिक साहब (भारतीय लोकदल के विधायक) ने उत्तर दिया कि "बहुगुणा जी आप नौकर हैं, जिस दिन मालिक चाहेगा, निकाल देगा।" उनके साथ हमदर्दी है। नहीं था प्राइम मिनिस्टर को अधिकार कि दबाव डालकर उनसे इस्तीफा ले लें। नहीं है अधिकार कि पोलिटिकल पार्टी को कठपुतली की तरह चलायें। हरियाणा में बनारसी दास हो गये और यहां नारायण दत्त तिवारी हो गये चीफ मिनिस्टर। तो आप नामजद किये गये हैं. जिस तरह सूबेदार हुआ करते थे। नेशनल हेराल्ड अखबार को हम सभी जानते हैं। कांग्रेस का ही कायम किया हुआ है। कांग्रेस वालों ने जिलों से पैसा इकट्ठा करके उसको बनाया। उसमें (मास्ट के ऊपर) अब तक शीर्षक था "फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड इट विद ऑल योर माइट" अर्थात "आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो" आज यह शीर्षक नहीं रह गया है।

यह कह रहा हूं। आपके लीडर ने इन शब्दों को निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया, आज क्या मौका था इसको निकलवाने का! कारण यह था कि पढे–लिखे लोग यह अर्थ न लगा लें कि "ओइंग टू दिस इमरजेंसी, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड इट विद ऑल योर माइट।" (आपात स्थिति के कारण आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा

करो।) जो दिमाग–परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, इस शीर्षक को हटवाना उसी का अंग है।

दो दिन तक अगर कोई अखबार श्रीमती जी का फोटो नहीं निकालेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट हो जायेगा। 'ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट' मशहूर अखबार है। उसने एक तस्वीर महात्मा जी की निकाली। वह महात्मा जी के नोआखाली की यात्रा की तस्वीर है। वह सेंसर हो गई। सेंसर–बोर्ड ने उसको निकाल दिया, इसलिए कि इट इज लाइकली टू बी मिसइण्टरप्रेटेड (इसका अनुचित अर्थ लिया जा सकता है); अर्थात् अब गांधी जी का अपने देश में कोई स्थान नहीं रह गया है और अपनी लकुटिया लेकर अब विदेश जा रहे हैं।

मैं अब मुख्यमन्त्री जी पर चार्ज लगाता हूं। क्यों चीफ मिनिस्टर संजय गांधी का स्वागत करने जा रहे हैं? संजय गांधी हमारी बहन जी के लड़के हैं। २५–३० वर्ष की उम्र होगी। मैंने फोटो देखा, उससे वह ऐसे लगते हैं। मालूम नहीं कैसे वह एकदम आसमान में पहुंच गए। इतना ऊपर पहुंच गए जैसे कि प्रधानमंत्री के बाद वही दूसरे नेता हों। कितनी खबरें उनके बारे में निकलती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? यह सच्ची डेमोक्रेसी है कि प्रेस पर इतना जबर्दस्त नियंत्रण हो। क्या प्रेस खुश होकर ये खबरें देता है? ऐसा नहीं है, उसे छापना पड़ता है, ऑर्डर उसे दिया जाता है। संजय हो गए यूथ–कांग्रेस के नेता। यूथ–कांग्रेस की मेम्बरशिप का कोई बाकायदा रजिस्टर नहीं होगा। रोज यह व्याख्यान देते फिरते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसमैनों को डांटते फिरते हैं। यू० पी० के विधायकों को चण्डीगढ़ में कांग्रेस मीटिंग में बुरी तरह डांटा कि क्यों फिरते हो इधर–उधर, गांवों में जाकर काम करो। गांव के बड़े एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हो गये हैं रातोंरात। सबको उपदेश देते फिरते हैं, भले ही खुद गांव में कभी न गए हों। जो आदमी मिलता है, उससे कहा जाता है कि गांव जाइये––गांव जाइये और वह फटकार भी लगाते हैं कि बातें कम, काम ज़्यादा करो। यू० पी० वालों से कहा कि मिनिस्ट्री बनती रहेगी, गांव में जाकर काम करो। उस वक्त तक नारायणदत्त तिवारी की नियुक्ति नहीं हुई थी, स्वतंत्र भारत में दूसरे पृष्ठ पर खबर छपी। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा संजय गांधी के आगमन पर तथा स्वागत के बारे में यह खबर छपी थी। संजय जी आ रहे हैं और २८ तारीख को फलां–फलां प्रोग्राम होगा। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने यह वक्तव्य दिया, जबकि यह काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है। आप किसी से कह देते अथवा किसी कांग्रेसमैन से कहला देते।

लेकिन हमारे यू० पी० का चीफ मिनिस्टर एक नौजवान के लिए, जिसकी कोई कानूनी या सरकारी हैसियत नहीं है, उसका विज्ञापन भोंपू

बजाता फिरे कि वह आ रहा है, तो कहां तक उचित है? क्या मतलब है इसका? २५–३० वर्ष का आदमी बजट पर व्याख्यान दे, जो कि इतनी गुप्त चीज है। जवान और बूढ़े सभी कांग्रेस मैनों को उपदेश दे, बल्कि मैंने यहां तक सुना है कि प्रधानमंत्री जी बड़े–बड़े कांग्रेसियों से, जो उनसे मिलने जाता है, कह देती हैं कि पहले संजय गांधी से बात कर लो। चीफ मिनिस्टरों तक से यह कहा जाता है। आप लोगों को कोई गैरत हो, तो डूब मरना चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि मिनिस्टर नारे के ऊपर नारे लगाते रहते हैं। यह भी मैंने सुना है कि यह नारा लगाया जाता है, "आज की नेता इंदिरा गांधी, युवकों का नेता संजय गांधी और कल का नेता राहुल गांधी।" मैंने यह भी सुना है कि गवर्नमेंट की ओर से एक ऑर्डर दिया गया है, वह यह कि २७ तारीख को जब संजय गांधी आ रहे हैं, तो उस दिन हवाई अड्डे से गवर्नमेंट हाउस तक स्कूल के बच्चों और उनकी अध्यापिकाओं की १५ कि० मी० की लाईन उनके स्वागत के लिए बनायी जायेगी और बच्चे खड़े कर दिये जायेंगे। क्यों, आपने ऑर्डर क्यों दिया और अफसरों ने दिया है, तो उनसे पूछिये कि क्यों दिया? क्या सीखेंगे बच्चे संजय साहब से? मैं नहीं कहना चाहता। संजय से तिवारी जी, आप क्या सीखेंगे? मीलों तक बच्चों को खड़ा किया जाए, वे क्या सीखेंगे उनसे? बच्चों को उस व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ा किया जाता है, जिनसे कुछ सीख मिले। ट्रांस्पोर्ट अफसर को हुक्म हुआ कि वह ५–५ हजार आदमियों को लाये। आर० टी० ओ० को ऑर्डर हुआ कि पैसे का इन्तजाम उन्हें करना है। इन्तजाम करके वे देंगे। बहुगुणा जी ने भी यही रिवाज चलाया था, बादशाह अकबर जैसा। आपने भी दिल्ली से आने पर वैसे ही कोशिश की और अब संजय का जुलूस आ रहा है। आर० टी० ओ० पांच–पांच हजार रुपया और आदमी लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सब गवर्नमेंट की तरफ से खर्च होगा?

एक बात और, आप कहते हैं कि मीसा में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है, तो यह इंदिरा जी ने कौन–सी नयी बात कर दी, जिसका आप ढोल पीट रहे हैं। यह कानून पहले से बना हुआ था। सन् १९७१ में कौल कमीशन ने तस्करों के बारे में रिपोर्ट दी थी कि बहुत जोरों से यह अपराध बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? लेकिन उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, तस्करों से रुपया लेना था, इसलिए कुछ नहीं किया गया और जब देखा कि जनता की नाराजगी बढ़ रही है, तो आपने यह कानून बनाया। यह बीस प्वाइंट प्रोग्राम क्या हो गया है, कोई जैसे नयी गीता लिख दी हो, तो क्या इन सब बातों के लिए इमरजेंसी की ज़रूरत थी? अखबारों में निकलता है कि जब से

इमरजेंसी लागू हुई, तब से रेलों में बिना टिकट यात्रा कम हो गयी है। टिकट लेकर पहले लोग नहीं चलते थे और जब से इमरजेंसी लागू हुई, लेने लगे हैं। तो साहब! जैसे पहले से कुछ सम्वत् चलते आये हैं, वैसे ही आप भी अब २६ जून से इंदिरा सम्वत् चलाइए। बिना टिकट यात्रा के सम्बंध में एक खबर सुनिये–

पी० टी० आई०, २ अगस्त–आपातस्थिति की घोषणा के बाद से पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीजन में सात हजार से अधिक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं।

रतलाम डिवीजन में सात हजार व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये, तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे? क्या कोई कानून नहीं था? इसी तरह से टैक्स कलेक्शन (कर–वसूली) के बारे में है, २ अगस्त की खबर है–

केन्द्र के वित्त राज्यमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आज कहा कि गत चालीस दिनों में करों की जितनी वसूली हुई है, वह अभूतपूर्व उल्लास का विषय है।

बम्बई टेलीविजन के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि "आपातस्थिति के दौरान आबकारी की आमदनी और प्रत्यक्ष कर तथा अन्य करों की वसूली में पर्याप्त उन्नति हुई है। इस आपात स्थिति ने हमें पीड़ित करने वाले आलस्य को समाप्त कर दिया है।"

यह है आपका प्रोपेगैण्डा। इससे किसी आफीसर की कुशलता नहीं बढ़ेगी, इससे बिना टिकट यात्रा नहीं रुकेगी। यह तो जैसा आपका चरित्र होगा, वैसा ही काम कर्मचारी करेगा। इस इमरजेंसी से आप कुछ लोगों को जेल भेज देंगे। मानो हमने अर्थात विरोध पक्ष ने, आदेश दिया था कि बिना टिकट वालों को न पकडो. हमने कहा था स्मगलिंग चलने दो, हमने कहा था कि अमुक क्षेत्र में आगे न बढ़ना, हमने कहा था कि लड़कों को लूटने दो, चाकू–छुरे चलाने दो और उन्हें नकल करने दो? लोगों को गुमराह करने के लिए, देखो–कितना फायदा हुआ है, इन कांग्रेस के विरोधियों को बन्द करने से, इसलिए इनको जेल में रहने दो, जेल में इनका रहना ठीक है, यह सब प्रचार हो रहा है।

एक बात और। डी० आई० आर० में कुछ एम० एल० ए० बन्द हैं, उनको विधान परिषद व राज्य सभा के चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो पत्र इलेक्शन कमीशन के यहां से आया है, उसमें केवल 'निरुद्ध' शब्द लिखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग डी० आई० आर० में बन्द हैं, उनको राइट आफ वोट क्यों नहीं है?

एक बात और है, जिसको कहकर खत्म करता हूं। पं० नेहरू सन्

१९३६ में यहां आए। सन् १९३६ में कांग्रेस हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी, वह इस मौके के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि पंडित नेहरू इत्तिफाक से हमारी प्रधानमंत्री के पिताजी थे। वह अनेक बार कह चुकी हैं कि "हमारे पिता जी तो साधु थे, राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ" और यह भी कहती हैं कि "पॉलिटिक्स नोज नो मॉरेलिटी" (राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती)। अच्छा देखिए, पं० नेहरू ने क्या कहा? उस सिलसिले में उनका व्याख्यान है, ऑल इण्डिया कांग्रेस सेशन में—

> "साथियो ! मनोविज्ञान में दिलचस्पी होने के कारण मैंने नैतिक और बौद्धिक पतन की प्रक्रिया को गौर से देखा है और पहले से अधिक महसूस किया है कि किस प्रकार निरंकुश सता किसी को भ्रष्ट करती है, पतित करती है और असभ्य बनाती है।"

वे आगे कहते हैं—

> "जो सरकार फौजदारी कानून और उसी प्रकार के अन्य कानूनों पर निर्भर करती है, प्रेस तथा साहित्य का दमन करती है, बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में बन्द रखती है तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियां करती है, जैसी कि आज भारतवर्ष में हो रही हैं, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का लेशमात्र भी अधिकार नहीं रह जाता है।"

यह उस समय समाचार—पत्रों में प्रकाशित हुआ था, किन्तु तत्कालीन प्रशासन ने किसी व्यक्ति या समाचार—पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु आज मेरी बात को प्रकाशित करने की किसी समाचार पत्र की हिम्मत नहीं है। मैंने एक किताब लिखी इसी बीच में, पहले से लिख रहा था। अब मैं उसको प्रकाशित कराने की सोच रहा हूं। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि किताबों पर भी सेंसर है। तो पंडित जी कहते हैं कि जो सरकार प्रेस को दबाती है, जो अनेक संगठनों पर पाबन्दी लगाती है, अर्थात् जैसा यहां हो गया है, जो जेलखाने में आदमियों को बिना मुकदमा चलाये हुए रखती है, इस प्रकार की बहुत—सी बातें, जो इस समय भारत में हो रही हैं, हजारों बातें ऐसी हो रही हैं, जो इनको नहीं मालूम हैं और न किसी को मालूम हैं, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है एक मिनट भी सता में बने रहने का।

यह पंडित जी ने सन् १९३६ में कहा था। आज के हालात में यह ठीक उतरता है। इतना मैं अपने दोस्तों से और कहूंगा कि अपना दिल टटोलें, देश की बात सोचें।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएंः चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एकः सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दोः आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीनः राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चारः उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives

www.charansingh.org

मूल्य ₹१९९